FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

सरदारली बनाम महादेव वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	न. या ता. अहकाम जो जारी हुआ
	कु०No 30 / 25-01-23	

25/01/2023

आज यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थीगने दावे के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ-साथ पढा गया। वकील प्रार्थीगकी एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2023 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.न. हाल 864, 865, 866, 867, 868, 879, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 863, 854, 854/2141 वाके ग्राम गिगलाना व आ.ख.नं. हाल 01, 02, 27, 03, 923/28,924/28,925/29,926/29,927/30, 928/30, 929/31, 930/31, 931/32, 932/32 व 118, 43, 104, 105, 144, 115, 116/809, 15,16, 17,23, 46,47, 08, 909/37, 910/37, 911/37 व 119 वाके ग्राम चावण्डी तह. नीमराना तह0 नीमराना की वो आराजी मुतनाजा को बाला-बाला जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे। ना ही प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने मे स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों व दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत बाजी पैदा करे। ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे,कच्चा-पक्का निर्माण करे, गलत इन्द्राजात के आधार पर बेचान करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

तथा क्योंना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलबाना रजिस्ट्रड एoडी0 पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलब हो बाद तलबी पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1-8-24	आज यह पत्रावली मूल तलब के साथ पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना-पत्र 212 सी.पी.सी. अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल सम्बद्ध चौकी नवना से कम हो। बाद-कार्यवाही मूल वाद संलग्न रहे।	
	उपखण्ड अधिकारी बानसूर (कोटपूतली-बहरोड़)	